तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, जयपुर की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियायें (S.O.P.) दिनांक 08.02.2024 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में 10 वर्ष और अधिक पुराने प्रकरणों के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों पर बहस पूर्ण किये जाने हेतु उभयपक्ष अभिभाषकगणों को निर्देशित किया गया। बावजूद इसके बहस पूर्ण नहीं किये जाने पर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) RTA में प्रार्थिया की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 686 रकबा 5.21 हैक्टर प्रार्थिया के खाते की आराजी है। प्रतिपक्षी क्रम–1 के कोई पुत्र नहीं होने से उक्त आराजी में प्रार्थिया का भी 1/3 हिस्सा निहित है। प्रतिपक्षी क्रम–2 के बहकावे में आकर प्रतिपक्षी क्रम–1 उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करके प्रार्थिया को उसके हक/अधिकार से वंचित करना चाहती है। इस कारण यह प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के ही पक्ष में है। अप्राथीगण द्वारा आराजी को खुर्द बुर्द कर देने की स्थिति में प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी में प्रार्थिया के 1/3 हिस्से पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पुश्तैनी है किन्तु अप्रार्थी क्रम–1 के एक दत्तक पुत्र सन्तोष कुमार मौजूद है। प्रार्थिया का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिपक्षी क्रम–1 को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रतिपक्षी क्रम–1 के जीवनकाल में प्रार्थिया का कोई अधिकार नहीं है। अतः रिसीवर प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। रिसीवर नियुक्ति के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 40 में प्रावधान दिये गये है किन्तु उसके पहले सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :– (क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ? (ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ? (ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ? **उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।** प्रार्थिया कीं ओर से मूल दावे के साथ पेश यह प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2005 को दर्ज होकर आदिनांक तक विचाराधीन है। इसे न्यायालय में विचाराधीन रहते 19 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अप्रार्थी की ओर से वर्ष 2005 में ही पेश जवाब में दत्तक पुत्र होने का उल्लेख है। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश हो जाने के बावजूद भी प्रार्थिया बहस कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करवाना वह उचित नहीं समझती है। इस प्रकार अनावश्यक रूप से लम्बित रखे जाने के कारण यह प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है। विवादित आराजी पर प्रार्थिया का कब्जा नहीं है और ना ही प्रार्थिया का नाम दर्ज है। फलस्वरूप सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। विवादित आराजी पर कब्जा न होने व नाम दर्ज न होने के कारण प्रार्थिया दावा करने की दिनांक से ही उक्त आराजी से ऐसा कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रही थी कि ऐसा उसे कोई अपूरणीय क्षति हो। प्रस्तुत प्रकरण के मूल वाद में प्रतिवादी के साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 04.07.2018 को ही पेश हो चुका है तथा तब से ही प्रकरण जिरह प्रतिवादी की Stage पर विचाराधीन चल रहा है। प्रकरण के विवाद का निस्तारण मूल वाद में कायम तनकीयात पर साक्ष्य ली जाकर तय किये जायेंगें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न तो प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है और प्रार्थिया को कोई अपूरणीय क्षति होना भी संभावित नहीं है। प्रार्थिया के, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 व आदेश 40 में निहित प्रावधानों की शर्तों को पूर्ण करने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र बावत रसीवर नियुक्ति अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	